

अज अदालत मुकाम
 करम मुकदमा बनाम
 नं० १०/१८ सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
11-6-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप पत्रावली में पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं पुनः पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली दि. 25-6-19 को पेश हो।	
25/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसील्दार बेंगलूर द्वारा पत्रावली में पालना रिपोर्ट पेश की गई। तहसील्दार बेंगलूर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी द्वारा पत्न्या के से मंग कर दिये जाने से पत्न्या की नहीं की गई है। हमने तहसील्दार बेंगलूर द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन उपरान्त पाया कि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न पत्रावली में प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के पत्न्या को रिपोर्ट में बताया गया कि प्रार्थी पत्न्या की कार्यवाही नहीं करवाया जा रहा है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा पत्न्या की कार्यवाही नहीं करने से पत्रावली में सब क्वैर मेरे कार्यवाही कोष नहीं है। प्रार्थी</p> <p>अतः प्रार्थी पत्रावली में कार्यवाही कोष नहीं होने से फैसला किया जाता है। पत्रावली केवल रिपोर्ट की पाकर नम्बर से रजिस्टर करके दफ्तर हो।</p>	

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक/भू.अ./ 2019/1241
प्रेषित,

दिनांक-20/6/2019

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बेगूं।

विषय:- पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने कायदा।

प्रसंग- श्रीमान का आदेश क्रमांक/ 470/2019/62/9.2/18 दि.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रासांगिक आदेश कि पालना में ग्राम...
पटवार मण्डल... भू.अ.नि. वृत्त... के आराजी नं... कुल
किता ... रकबा ... की पत्थरगढी वादी व प्रतीवादी के सम्मक्ष दिनांक को भू.अ.नि
द्वारा कि गई।

अतः पत्थरगढी कि पालना रिपोर्ट श्रीमान कि सेवा में सादर प्रेषित हैं।

- सलग्न:- 1...
2...
3...
4...

तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूं जिला-चित्तौड़गढ़
बेगूं

रिपोर्ट अ.अ.नि. बिहार दि. 13-6-19

सेवामें

क्षीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
बैंग्रं

द्वारा - क्षीमान तहसीलदार साहब - बैंग्रं

विषय - पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश करने बाबत

प्रसंग - क्षीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बैंग्रं के निर्धि प्रा.प. सं. 90/2018

महोदयजी,

अपनुक्त विषयानुसार निवेदन है कि क्षीमान के निर्धि प्रा.प. संख्या 90/2018 की पालना में पत्थरगढी की कार्यवाही पर वादी द्वारा पत्थरगढी करणगे से मना किया। अतः पंचमौका बनाया जाकर रिपोर्ट क्षीमान की सेवामें पेश है।

OR
1/16

संलग्न - पंचमौका

12/12

पंचमोंका ग्राम कनकपुरा दि. 13-6-19

दिनांक को श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक
जज) महोदय बेगुं को प्राथमिक सं. 97/2018 के निर्णय
की शर्तना में प्रार्थी हीरा पिता कालु दाऊद नि. कनकपुरा के पत्नी
गदी की कार्यवाही शरत मौके पर पहुंचे। प्राथमिक एवं उसके ऊपर
ने अब धरतीवादी की कार्यवाही नहीं करने को कहा। अतः
प्रार्थी के पुत्र विरम एवं कन्य मौलविरम के समक्ष पंचमोंका
बनाया जाऊ उपस्थित मौलविरम के समक्ष पढ़कर सुनाया गया,
एवं हस्ताक्षर लिखे गये।

हेराम
ILR

पंचमोंका

विश्वनाथ

कुशनाथ

लक्ष्मी

नरनाथ